

29/7/21

डॉ. शिखर प्रसाद सिंह, सदस्य

कमला अलारया, सदस्य

21/11/21
P2416

वकील अपीलान्त व अपीलान्त की
बार-बार रुक-रुक कर आवाजे लगावई गई।
आवाजे लगवाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं,
अतः पत्रावली अइम हाजरी व अइम फेरवी में
खारिज की जाती है। पत्रावली बाद कार्यवाही
दाखिल दफ्तर है। आदेश खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर